

संग्रहीत

जीवित जैवनामिकी वा

जीववर्ग के प्रतिनिधित्व

लकड़ी (बोर्ड)

प्रतिक्रिया = आप के लिए मेरी



महोदय

मेरी सार्वत्रिक 5% छूटमात्रा आपकी ओरेंज

मेरी III XLC Electronics Engg का लकड़ी

लकड़ी है मेरी Unilever portal पर भी इसके

उत्पादनी जागी है। आपको फ्रीमोड़ वा फ्री

मेरी लाई मेरी OBC लिमिटेड ते आपकी

ओरे कुछां नहीं

आपकी अर्हि कुछां नहीं

धन्यवाद

नाम - महोदय लकड़ी

ठाक्का - बैंगनी - 3mlkg

मेरी OBC

EN No → E/BN/12345678900047



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
उहसील
आदेश क्र०
जनागरपत्र क्र०

बागपत
बड़ौत
800313000973
080131300487

जारी दिनांक: 25/05/2013

प्रमाणित किया जाता है कि
पुरुषुड़ी
निवासी
ग्राम
लहसील
जिला

श्री आदेश कुमार
श्री सुरजपाल
अ.
बिजवाड़ा
बड़ौत
बागपत



उत्तर प्रदेश राज्य की कुम्हार जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह श्री प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदेश कुमार पूर्ववक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (सशोधन) अधिनियम २००६ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (सशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संघया २२/१०/१२ टी० री०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये लकाल पार्षिक आय पाँच लाख रुपये या इससे अधिक नहीं हैं तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९९४ में तथा विहिप उट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

जारी कर्ता केन्द्र: वयम जन सेवा केन्द्र
पठ
रुधान
दिनांक
संसाक्षर एवं मुहर
प्रदीप कुमार भैरव प्रभारी
आजमगढ़ मूलसम बड़ौत, बिनौली २६/०५/२०१३

Digitally Signed by
Chauhan Ved
Singh

सकाम अधिकारी/उहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
बड़ौत, बागपत
दिनांक: 25/05/2013

इस प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा सकाम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित है। इस सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://uponline.up.nic.in> पर सत्यापित किया जा सकता है।